(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए वर्षवार घाटे का ब्यौरा क्या है तथा इस घाटे के क्या कारण हैं ;

(ग) भारत सरकार को उ० प्र० विद्युत बोर्ड द्वारा आज की तारीख तक कितनी धनराशि का भुगतान करना है ; और

(घ) उ० प्र० विद्युत बोर्ड के कार्य-कारण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता शामिल नहीं है :

31 मार्च को समाप्त वर्ष	निवल घाटा (करोड़ रुपए में)
1988 . .	383.90
1989 . .	438.20
1990 . .	470.50

उक्त हानियों के कारणों में ये शामिल है—विद्युत की औसत बिक्री दर उपभोक्ताओं को ऊर्जा पहुंचाने तक की लागत से काफी कम होना, ताप-विद्युत एवं जल-विद्युत उत्पादन क्षमता का मिश्रण उपयुक्त न होना और पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता का अत्यधिक होना ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान की जाने वाली राशि 31-7-91 की स्थिति के अनुसार लगभग 650 करोड़ रुपए बैठती है ।

(घ) राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकाय है । भारत सरकार द्वारा उ०प्र०रा०बि० बोर्ड सहित सभी बिजली बोर्डों के कामकाज में सुधार किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है । वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्श के अलावा, इस मामले पर समय-समय पर विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया जाता है । राज्य सरकारों को निम्नलिखित जैसे उपाय किए जाने की सलाह दी गई थी—ऋण को इक्विटी के रूप में परिवर्तित करना, कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना, टैरिफ की आवधिक रूप से पुनरीक्षा किया जाना, हानियों को कम करने की दृष्टि से पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करना आदि । भारत सरकार द्वारा विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 में संशोधन करके निवल परिसम्पत्तियों पर 3% का न्यूनतम सांविधिक अधिशेष प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है ।

कांटी ताप विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

*198. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर स्थित कांटी ताप विद्युत स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) वहां उत्पादित विद्युत का वितरण किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) क्या इस आशय का कोई नियम है कि 15 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि के भीतर विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही अन्य स्थानों पर विद्युत की आपूर्ति की जाती है; यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन इस मामले में किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कांटी ताप विद्युत केन्द्र (मुजफ्फरपुर) की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता इस समय 220 मेगावाट है ।

(ख) और (ग) किसी राज्य/क्षेत्र में विद्युत के वितरण एवं इसके विनियमन संबंधी कार्य, संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है । यह विद्युत की आवश्यकता एवं उपलब्धता और संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सृजित आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है । विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत, राज्यों के ग्रिडों को सप्लाई की जाती है और संबंधित राज्य के विभिन्न भागों को वितरित की जाती है चाहे वे विद्युत केन्द्र से कितनी ही दूर हों । ऐसा कोई नियम नहीं है कि विद्युत केन्द्र के आसपास 15 किलोमीटर क्षेत्र की विद्युत मांग को पूरा करने के बाद ही अन्य क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई की जाए ।

Installation of navigational aids at Airports

*199. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have ordered for installation of vital navigational aids at many airports following crash of Indian Airlines Boeing 737 at Imphal, recently;

(b) if so, the names of the airports where navigational aids would be installed;

(c) whether it is a fact that due *to* non-availability of navigational aids, the pilots have to start landing much before the required distance; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) and (b) The installation of navigational aids at our airports is continuous process. The National Airports Authority is implementing a phased programme for installation of navigational aids in the North East region.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Karnataka's representation for import of Coal

*200. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Karnataka Government has represented to the Central Government for permission to import one million tonnes of coal: and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken by the Central Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Government of Karnataka have approached the